



## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2012 अपील — 986-JC/12

गणेशा पुत्र मुन्ना सरपंच ग्राम पंचायत  
जनपद पंचायत जतारा जिला टीकमगढ़

.. अपीलार्थी

बनाम

मध्यप्रदेश शासन .... रेस्पोंडेंट

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 44 (2) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 347/ बी- 121 / 2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 12/4/ 2012 से परिवेदित होकर अपील समयावधि में प्रस्तुत है ।

महोदय,

अपीलांट की ओर से अपील निम्नतथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :-

1. यहकि, सरपंच ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जतारा एवं ग्राम मांची के ग्राम वासियों द्वारा तहसीलदार जतारा के समक्ष शासकीय हाईस्कूल भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया । न्यायालय तहसीलदार जतारा द्वारा प्रकरण क्रमांक 135/ बी- 121/ 2011- 12 पर दर्ज किया गया । हल्का पटवारी मांची द्वारा भूमि खसरा नं. 461/ 1/ 1 रकवा 4.811 हेक्टेयर के अंश भाग रकवा 0.800 हेक्टेर भूमि प्रस्तावित की गई।
2. यहकि, सरपंच ग्राम पंचायत मांची द्वारा विधिवत ग्राम सभा दिनांक 17/2/ 2012 को बुलाई गई जिसमें सर्व सम्मति से ग्राम के पास स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 157/1 रकवा 1.064 हेक्टेयर पर हाईस्कूल भवन का निर्माण कराये जाने का ठहराव पस्तावसर्व सम्मति से पास किया गया। तदोपरांत इसी क्रम में अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक

श्री. आर. एस. सागर  
द्वारा आज दि. 17-4-12 को  
प्रस्तुत  
वकील ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R. S. Saagar  
आर. एस. सागर  
17-4-12

श्री. आर. एस. सागर  
द्वारा आज दि. 17-4-12 को  
प्रस्तुत  
वकील ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

